Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

जिला– सहरसा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सहरसा
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.
सहरसा
परिवाद वाद संख्या– 89 सी/2019

1. राज्य (द्वारा) रेखा देवी पति श्री नारायण पासवान
साकिन–करियत, वार्ड नं0 12
ओ0पी0–पतरघट, थाना–सौरबाजार, जिला–सहरसा।

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. शंकर यादव उम्र 40 वर्ष पिता नारायण यादव
2. अरूण यादव उम्र 46 वर्ष पिता सुरेन यादव
3. अशोक यादव उम्र 37 वर्ष पिता नारायण यादव
4. गणेशी यादव उम्र 65 वर्ष पिता स्व0 घोंघाय यादव
5. लालू यादव उम्र 36 वर्ष पिता गणेशी यादव
सभी साकिनान करियत, वार्ड नं. 12, थाना पतरघट, जिला सहरसा।

.....अभियुक्तगण

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

1.	घटना की तिथि	01.11.2019	
2.	परिवाद पत्र दायर करने की तिथि	05.11.2019	अंदर धारा 341, 323, 504, 354बी0/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s)(t)(u) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
3.	संज्ञान लेने की तिथि	19.02.2020	अंदर धारा 341, 323, 354, 504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
4.	आरोप गठन की तिथि	02.12.2021	अंदर धारा 341, 323, 354, 504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
5.	अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	24.02.2022	
6.	अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	05.06.2026	
7.	धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	05.06.2026	
8.	सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि		
9.	सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि		
10.	बहस प्रारंभ होने की तिथि	17.06.2026	
11.	बहस बंद करने की तिथि	17.06.2026	
12.	निर्णय की तिथि	17.06.2026	

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियोजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री उमेश प्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ता

सहरसा, दिनांक–17.06.2026

उपस्थितः– श्री संतोष कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस परिवाद वाद के अभियुक्तगण क्रमशः 1. शंकर यादव 2. अरूण यादव 3. अशोक यादव 4. गणेशी यादव 5. लालू यादव के विरूद्ध धारा– 341, 323, 354, 504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि " सविनय निवेदन है कि मुदैया शांतिप्रिय एवं न्यायाप्रिय महिला है तथा अनुसूचित जाति है। यह कि मुदालह मेली–सरोकारी, लटियल, बदमाश, दबंग एवं असामाजिक तत्व है जो ऐन कानून का कोई परवाह नहीं करता है। यह कि फिदवी मुदैया अपने नाम से जमीन केवाला द्वारा खरीद की जिसका खाता संख्या–1140, खेसरा संख्या 14742, रकवा 3.5 डिसमिल (साढ़े तीन डिसमिल) अन्दर मौजा गोलमा में खरीद की तथा दाखिल खारिज पश्चात जमाबंदी कायम कर अपने जमीन पर केवाला के समय से ही दखल कब्जा में चली आ रही है परन्तु उक्त मुदालहगण उक्त वर्णित घटना तिथि एवं समय को मुदैया के दरवाजे पर चढ़कर जबरदस्ती 7 कड़ी जमीन हड़प कर घर बनाना शुरू कर दिया। जिस पर फिदवी मुदैया उक्त मुदालह का विरोध की तथा सभी मुदालह लाठी–डंडा से लैश थे। फिदवी मुदैया जमीन हड़पने का विरोध की तो सभी मुदालह फिदवी मुदैया को जोर–जबरदस्ती बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया तथा साड़ी ब्लाउज खींचते हुए बेनग्न कर दिया और

सभी एक स्वर से बोला कि हरमजादी दुसधनियॉ–दुसधवा तथा बचाने वाले को जान से मार दो। गवाहों ने बचाने की कोशिश किया तो गवाहों को भी जान से मारने की धमकी देकर हस्तक्षेप करने से रोक दिया। सभी मुदालह लात–मुक्का, फाईट से बुरी तरह से मारपीट करते हुए जमीन पर घसीटने लगा और बोला लात मुक्का का मार दोगे तो कोई इंजुरी रिर्पोट नहीं बनेगा तथा बोला हरमजादी जिस बाप के पास जाना है जाओ, हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

यह कि मुदैया उक्त घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी, इस पर स्थानीय थाना बोला जाओ केस दर्ज हो जायेगा परन्तु आज तक मुदालह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तब लाचार होकर लोगों ने कहा जाकर न्यायालय में केस करो तभी न्याय मिलेगा। तब लाचार होकर फिदवी मुदैया आज श्रीमान के न्यायालय में नालसी वाद दायर कर रही है। " उपरोक्त आशय के आवेदन पर नालसी दर्ज किया गया।

3. उपरोक्त आशय का परिवादिनी के परिवाद वाद के आधार पर अंतर्गत धारा– 341, 323, 354, 504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद वाद दर्ज किया गया तथा परिवाद पत्र में परिवादिनी का शपथ पर बयान तथा 02 जांच साक्षी का साक्ष्य कराया गया।

4. जांच साक्ष्य के उपरांत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक– 19.02.2020 को धारा– 341, 323, 354, 504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. दिनांक–02.12.2021 धारा–341, 323, 354, 504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया है एवं साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–05.06.2026 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 द.प्र.स. के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्तगण का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

मन्तव्य

तथा कथित आरोप को साबित करने के लिये परिवादिनी की ओर से कुल मिलाकर एक साक्षी को प्रस्तुत किया वे हैं राजेश पासवान। उन्होंने न्यायालय में सशपथ कथन किया कि दिनांक 01.11.2019 के चार बजे शाम में मारपीट हो रहा था। मैं घटनास्थल पर गया तो देखा कि शंकर यादव, अशोक यादव, अरूण यादव एवं गणेश यादव लोग रेखा देवी से जमीन को लेकर लड़ाई कर रहे है और जाति सूचक शब्द दुसधनियॉ कहकर गाली दे रहे हैं। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को पहचानता हूँ, तथा जो अभियुक्त आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, उसे भी देखकर पहचान लूँगा। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया जिसमें इसने कथन किया कि वादिनी का पति मेरा ममेरा भाई है। इस केस के साक्षी गुंजन देवी मेरी पत्नी है एवं साक्षी नीलू देवी मेरा भतीज पुतोहू है। घटना शाम के चार बजे शुरू हुआ एवं शाम के साढ़े छह बजे तक होते रहा। मेरे गॉव में यादव, पासवान, मुसहर, मुस्लिम जाति के लोग हैं। इस केस में हमलोगों के जाति के अलावे किसी अन्य जाति के लोग गवाह नहीं हैं। मैं जनवरी 2019 में हरियाणा में मजदूरी करने गया था, वहॉ से कब मैं कब आया था, मुझे याद नहीं है। घ ाटना घटित होने के पॉच मिनट बाद मैं घटनास्थल पर गया था। अभियुक्तगण मेरे साथ मारपीट नहीं किये थे। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, उस जमीन का नापी अमीन से किया गया था। उक्त जमीन को अभियुक्तगण कहते हैं मेरा है। घटनास्थल का चौहद्दी मैं नहीं जानता हूँ। घटनास्थल पर मेरे समक्ष कोई अन्य लोग नहीं आये थे। सूचिका रेखा देवी एवं अभियुक्तगण के घर के बीच में किसका है, मुझे मालूम नहीं है। मुझे जिस तरह रेखा देवी ने बतायी, उसी तरह का बयान मैंने दिया। अभियुक्तगण मेरे ग्रामीण हैं, इसलिये पहचानता हूँ।

विदित हो कि इस वाद में अभियुक्त के उपर आरोप का गठन दिनांक 02.12.2021 को हो गया था और तब से लेकर परिवादिनी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 5 वर्षो का समय मिला लेकिन उनके द्वारा सिर्फ एक साक्षी राजेश पासवान को प्रस्तुत किया जा सका है एवं इनके अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस वाद में तथा–कथित पीड़िता रेखा देवी को परीक्षित नहीं कराया गया और न ही घटनास्थल के अगल बगल के लोगों को ही परीक्षित कराया गया। साक्षी राजेश पासवान ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में पारा 3 में कहा है कि वादिनी का पति इनका ममेरा भाई है। पारा 8 में इनका कथन है कि ये घटनास्थल पर पॉच मिनट बाद गये थे। पारा 14 में

इन्होंने स्पष्ट कथन किया है कि इन्हें जिस तरह रेखा देवी ने बतायी, उसी तरह का बयान इन्होंने दिया। अतः अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य नहीं रहने के कारण इस वाद के उपरोक्त सभी अभियुक्तों को उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्रों के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
17.06.2026

लेखापित

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
17.06.2026

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)
p.w.-1	राजेश पासवान	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश, सहरसा
17.06.2026